—:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री रामकुमार गोदारा — प्रार्थी
2. श्री अर्जुन सिंह नरूका —अप्रार्थी संख्या 1 व 2

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 19/05/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री रामकुमार गोदारा द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है तथ्य इस प्रकार है कि —यह कि उपरोक्त शीर्षक का मुकदमा अदालत हाजा में प्रस्तुत किया जा चुका है जो प्रथम दृष्टि में काफी मजबूत व कामयाबी की पूर्ण आशा है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

यह कि वाद के तथ्यों को समझने के लिए प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण संख्या 1,2 का सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है। चेतन की पुत्रीयों ने अपना हक दिनांक 22—8—98 को अपने भाई रिछपाल व सोहनलाल के हक में त्याग कर दिया। इसलिए इन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

यह कि प्रार्थी के दादा नत्थूराम को उसके परिवार जिसमें उसकी पत्नि सुगना, पुत्रगण मंगला, चेतन व बुधराम व बुधराम की पत्नि मीरां कुल 6 सदस्यों के आधार पर राष्ट्रपति भारत सरकार के जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा रोही मौजा लौगंवाला खसरा नम्बर 145 तादादी 25 बीघा 18 बिस्वा जो किलाबन्दी फिटिंग में चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु ए पत्थर नम्बर 48¢288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 25 आवंटित किया गया था। यानि उक्त कृषि भूमि में कुल 6 हिस्सेदार स्वंय नत्थूराम, उसकी पत्नि सुगना, तीनो पुत्रगण मगंला, चेतन,बुध राम व बुधराम की पत्नि मीरां बहिस्सा बराबर हक हकदार हुए। जो पेश करदा परिवार कार्ड से कतई स्पष्ट है। जिसमें कुल 6 सदस्यों के नाम अंकित है।

यह कि चूकिं कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सराकर की थी। इसलिए भूमि की मात्रा परिवार के सदस्यों के आधार पर ही तय की जाती थी । नत्थूराम के परिवार में कुल 6 सदस्यों की गणना करते हुए ही उपरोक्त 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य का हिस्सा 4 बीघा सवा तीन बिस्वा का हुआ। यानि उक्त कुलहम 25 बीघा भूमि में प्रत्येक का 4 बीघा सवा तीन बिस्वा का हक हुआ।

यह कि जहां तक प्रार्थी की माता मीरांदेवी के 4 बीघा सवा तीन बिस्वा भूमि का हक है, वह अपना हक लेकर परिवार से अलग हो गई और अपने हिस्से की भूमि कभी हिस्सा पर कभी ठेका पर कभी स्वंय काश्त करती रही। यहां यह कथन करना आवश्यक है कि प्रार्थी की माता मीरांदेवी ने सवा तीन बिस्वा का कब्जा नहीं लिया था मात्र 4 बीघा भूमि ही प्राप्त की थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि नत्थूराम सन् 1970 में फौत हो गया, उसकी बेवा सुगनादेवी सन् 1974 में फोत हो गई। इसलिए उपरोक्त कुलहम कृषि भूमि 25 बीघा में से 4 बीघा मीरांदेवी का हिस्सा व कब्जा निकालने के पश्चात शेष बची कृषि भूमि 21 बीघा में नत्थूराम के पुत्र मंगला, चेतन, व बुधराम जो प्रार्थी का पिता है, को बहिस्सा बराबर 7–7 बीघा हिन्दू कानून के अनुसार प्राप्त हुई।

यह कि जैसाकि ऊपर दर्ज किया जा चुका है कि प्रश्नगत कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार की थी एवं परिवार के सदस्यों के आधार पर ही 25 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन किया गया था जो किलाबन्दी फिटिंग में 25 बीघा दर्ज किया गया। प्रार्थी ने जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गगांनगर के यहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में वारिसान के आधार पर सनद हेतु आवेदन किया एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के भाई मंगलाराम ने भी आवेदन किया। जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 20–12–1985 को उक्त कृषि भूमि में सभी का 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित किया गया। जैसे ही अप्रार्थीगण संख्या 1,2 को उक्त आदेश का पता चला तो उन्होने आदेश दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलैक्टर एंव प्राधिकृत सैटलमैन्ट कमिश्नर श्री गंगानगर के अपील संख्या 1/86 अनवानी रिछपालराम आदि बनाम श्रीमति मीरां आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 13–10–86 को स्वीकार कर ली गई। इस आदेश के विरूद्व मीरां ने कलैक्टर एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमैन्ट कमिश्नर के निगरानी संख्या 121/86 अनवानी मीरां बनाम रिछपाल आदि प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया जाकर मामला पुनः जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर को रिमाण्ड किया गया। यहां तक तो मु. मीरा सभी कार्यवाहीयों में पक्षकार थी। परन्तु जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गगांनगर ने पुनः इस प्रकरण को मुकदमा नम्बर 413/87 दर्ज करते हुए मु. मीरां को पक्षकार ही नहीं बनाया और ना ही उसे सुनवाई का कोई समूचित सुअवसर ही प्रदान किया और मीरां के विरूद्व एक पक्षीय रूप से निर्णय करते हुए उक्त भूमि में बुधराम, मंगलाराम, चेतनराम प्रत्येक का 1/3 हिस्सा घोषित कर दिया। चूकिं मु. मीरां आरम्भ से ही इन प्रकरणों में पक्षकार थी और वह उक्त भूमि में अपना 1ध्6 हिस्सा यानि 4 बीघा लेकर परिवार से ही अलग हो चुकी थी।

माननीय जिला पुर्नवास अधिकारी महोदय ने ना तो मीरां को पक्षकार बनाया और ना ही सुनवाई का समूचित सुअवसर प्रदान किया इसलिए उनके द्वारा दिनांक 22–5–89 को दिये गये निर्णय से बाध्यकारी नहीं है और ना ही ऐसा विधि विरूद्व निर्णय मु. मीरां के विधिक अधिकारों पर कोई प्रभाव ही रखता है।

यह कि मंगलाराम ने अपने हिस्से की 7 बीघा कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा धन्नाराम, मानाराम पुत्रगण रतनाराम जाति नायक निवासी लौगंवाला व अन्यों के पक्ष में करना चाहता था, जिस पर प्रार्थी के पिता ने एतराज किया तब स्वंय मगंलाराम ने दिनांक 16–6–1997 को एक शपथ पत्र तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर प्रार्थी के पिता के हवाले किया। जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु में 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि नत्थूराम पुत्र धन्नाराम के नाम से है। उक्त 25 बीघा 18 बिस्वा पूर्व में खसरा नम्बर 145 की थी जो नत्थूराम को नोन क्लेमेन्ट के रूप में अलाट हुई थी। उक्त भूमि परिवार के सदस्यों के नाम से आवंटित हुई थी। नत्थू के परिवार में 6 सदस्य क्रमशः नत्थूराम, श्रीमति सुगना (पत्नि) (3) बुधराम पुत्र (4) चेतन पुत्र (5) मंगला पुत्र (6) श्रीमति मीरां पनि बुधराम थे। 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि में श्रीमति मीरां पत्नि बुधराम का 1/6 हिस्सा है। मंगलाराम द्वारा उक्त तथ्यों का शपथ पत्र देने के पश्चात उसने अपने हिस्से की 7 बीघा भूमि का इकरारनामा उक्त धन्नाराम, मानाराम के पक्ष में किया गया। एवं इकरारनामा करने के कुछ समय पश्चात ही मगंलाराम लावल्द सन् 1998 में फोत हो गया। एंव उसकी पत्नि सुखीदेवी का देहान्त मंगलाराम से पूर्व ही सन् 1997 में हो गया था। इसलिए मगंलाराम द्वारा उक्त धन्नाराम व मानाराम अन्यों के पक्ष में करवाये गये इकरारनामा को प्रार्थी के पिता बुधराम व चेतनराम के वारिसान ने स्वीकार कर लिया।

यह कि चूकिं राजस्व रिकार्ड में मंगलाराम का नाम अंकित था और वह लावल्द फौत हो चुका था। चेतनराम के पुत्रगण रिछपाल व सोहनलाल अप्रार्थीगण संख्या 1,2 जो राजस्व रिकार्ड का जानकार थे एवं बहुत शातिर किस्म के व्यक्ति थे। जबकि प्रार्थी का पिता अनपढ़ भोलाभाला व्यक्ति था, वह मात्र कृषि कार्य ही जानता था। पटवार का व माली हाली रकम आदि जमा कराने का सारा कार्य अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ही करते थे। उन्होने प्रार्थी के पिता को मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि का नामान्तरकरण करवाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी के पिता ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

सहमति प्रदान कर दी। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 12 ने साजिश रचते हुए और राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की माता मीरांदेवी के हिस्से की 4 बीघा को शामिल करते हुए कुल हम 25 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का अपने व अपनी माता व बहनो के नाम से करवा दिया एवं 1/2 हिस्से का इन्तकाल प्रार्थी के पिता के नाम से करवा लिया। जिसका कोई ज्ञान प्रार्थी के पिता को कभी नहीं रहा। प्रार्थी का पिता इसी विश्वास में रहा कि राजस्व रिकार्ड में मात्र 7 बीघा भूमि का ही विरासतन इन्तकाल हुआ है।

यह कि प्रार्थी का पिता इसी विश्वास में रहा कि उपरोक्त कुलहम 25 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर मीरांदेवी के कब्जा काश्त है, और वही उसकी मालिक है। शेष 21 बीघा में 7 बीघा उसका स्वंय का व 7 बीघा मंगलाराम का व 7 बीघा चेतनराम का हिस्सा है। इसलिए उसका स्वयं का 7 बीघा व मंगलाराम से विरासतन प्राप्त 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 बीघा 10 बिस्वा का इन्तकाल ही हुआ। उसकी पत्नि मीरां की 4 बीघा भूमि अलग है। इसी विश्वास पर मंगलाराम द्वारा किये गये विक्रय इकरार को स्वीकार करते हुए चेतन की पुत्रीयों गिरदावरी, कलावती,जमना, लिछमा ने 0.590 हैक्टेयर भूमि का बयनामा मानाराम धन्नाराम पिसरान रतनाराम के हिस्सा में बहिस्सा बराबर एवं 0.295 हैक्टेयर भूमि हेतराम, लीलूराम, हरीराम, सोहनलाल पिसरान केसराराम को जरिये बयनामा मुसद्वका दिनांक 22–9–98 को विक्रय कर दिया यानि कुल 0.885 हैक्टेयर विक्रय कर दिया। एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के पिता बुधराम ने मानाराम,धन्नाराम पुत्रगण रूपराम को 0.590 हैक्टेयर, एंव 0.295 हैक्टेयर हेतराम, लीलूराम, हरीराम, सोहनलाल पुत्रगण केसराराम को जरिये बयनामा मुसद्वका दिनांक 7–10–1998 को विक्रय कर दिया। यानि मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि का बेचान उपरोक्तानुसार प्रार्थी के पिता व चेतनराम के वारिसान द्वारा कर दिया गया।

यह कि मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि विक्रय करने के पश्चात चेतनराम के वारिसान की 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर हिस्सा शेष रहा एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के पिता का 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर हिस्सा शेष रहा। एवं प्रार्थी की माता मु. मीरां के हिस्से की 4 बीघा यानि 1.012 हैक्टेयर भूमि उसके मरने के पश्चात प्रार्थी को हिन्दू कानून के मुताबिक प्राप्त हुई।

इस प्रकार प्रार्थी का 7 बीघा अपने पिता से प्राप्त एंव 4 बीघा अपनी माता से प्राप्त कुल 11 बीघा यानि 2.783 हैक्टेयर भूमि कानूनन प्राप्त हुई। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके प्रार्थी की माता की भूमि का इन्तकाल उसके नाम से ना करवा कर कुल 25 बीघा भूमि का इन्तकाल संख्या 39 दिनांक 31–8–98 को अपने व अपनी माता व बहनो के नाम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं 1ध्2 प्रार्थी के पिता बुधराम के नाम से दर्ज करवा दिया जो कतई गलत व निराधार है। ऐसे विधि विरूद्व अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

यह कि नत्थूराम जो वृद्व हो चुका था और कृषि कार्य नहीं कर सकता था इसलिए उसने अपने जीवनकाल में ही कुल 25 बीघा भूमि में से 4 बीघा मीरां का हिस्सा मानकर उसकी कब्जा काश्त होने के पश्चात शेष बची उक्त 21 बीघा भूमि का विभाजन अपने तीनो पुत्रगण मंगला, चेतन व बुधराम के मध्य कर दिया था, जबकि मीरां अपना 4 बीघा हिस्सा लेकर पूर्व में ही परिवार से अलग हो चुकी थी –

(क) हिस्सा व कब्जा मीरांदेवी पत्नि बुधराम (जो अब प्रार्थी के कब्जा में है) चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु ए पत्थर नम्बर 48/288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 17,23,24,25 = 4 बीघा यानि 1.012 हैक्टेयर जिसे नजरी नक्शा में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है।

(ख) हिस्सा व कब्जा बुधराम (जो अब प्रार्थी के कब्जा में है) चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48ध्288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16 = 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर जिसे नजरी नक्शा में हरे रगं से दर्शाया गया है।

(ग) हिस्सा व कब्जा मंगलाराम (विक्रय किया गया) चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48/288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1,9,10,11,12,19,20 = 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर जिसे नजरीया नक्शा में नीले रंग से दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(घ) हिस्सा व कब्जा चेतनराम (जो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 का पिता था) चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48ध्288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 2, 3, 8, 13, 18, 21, 22 = 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर जिसे नजरी नक्शा में सीग्रीन रंग से दिखलाया गया है।

यह कि उक्त खरीददारान मानाराम व धन्नाराम ने अपने हिस्से की खरीद शुदा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के नाम से लगा दी। जिस बाबत फरीकैन में कोई तनाजा नहीं है। जमाबन्दी की मौजूदा स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की जो हिस्साकसी दर्ज की गई है, वह सही है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हिस्सा 9/50 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्टेयर इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज 9/50 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्टेयर गलत दर्ज हुआ है जबकि उनका वास्तविक हिस्सा विधि अनुसार 0.8855 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम, इसी प्रकार से इतना ही हिस्सा 0.8855 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात पटवार माल होना चाहिये था एवं प्रार्थी के नाम से 2278/6325 हिस्सा यानि 2.278 हैक्टेयर दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी को अपने पिता से प्राप्त 1.771 हैक्टेयर एंव अपनी माता से प्राप्त 1.012 हैक्टेयर कुल 2.783 हैक्टेयर का अंकन विधि अनुसार दर्ज होना चाहिये था।

इसलिए इस वाद के जरिये यह घोषणा वांछित है कि प्रार्थी उपरोक्त कुलहम 25 बीघा यानि 6.325 हैक्टेयर भूमि में से अपने पिता से प्राप्त 1,771 हैक्टेयर एंव उक्त भूमि में अपनी माता मु. मीरां का 1.012 हिस्सा यानि 4 बीघा कुल 2.783 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है।

यह कि चरण संख्या 12 में दर्ज वास्तविक हिस्साकसी के अनुसार ही प्रार्थी का 11 बीघा पर एंव अप्रार्थीगण संख्या 1.2 का 7 बीघा पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का 7 बीघा पर कब्जा काश्त मुताबिक नजरी नक्शा मौका पर चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है इसलिए नजरी नक्शा में संयुक्त कब्जा काश्त दर्शायी गई है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को करीब एक हफ्ता पूर्व मुकाम लौगंवाला में आपसी सहमति से उपरोक्त 6.325 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 2.783 हैक्टेयर स्वीकार कर उसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं चरण संख्या 11 जिमन क, ख के अनुसार खाता विभाजन कर अलग जमाबन्दी बनाकर अंकन करवाने हेतु

अप्रार्थीगण प्रार्थी की बात मानने से कतई तौर पर साफ इन्कार हो गये। बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से 2.278 हैक्टेयर भूमि दर्ज है इसलिए वे अपने नाम से अंकित कृषि भूमि को अन्यत्र भू माफियाओं को विक्रय कर देगें ताकि भू माफिया अपने आप प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा ले लेगा, चाहे मौका पर अप्रार्थीगण संख्या 1,2 का कब्जा 7 बीघा पर ही क्यों न हो। यही वाद कारण है और प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद दायर करने का अधिकारी है।

यह कि यदि अप्रार्थीगण संख्या 1,2 की धमकी अमल में आ गई तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है जिसकी क्षति पूर्ति हर्जाना से नहीं आंकी जा सकती और ना ही हर्जाना ऐसे कार्य के लिए उचित मदद हो सकता है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

तथ्यों की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थायी व्यादेश विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1,2 इस आशय का जारी फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण कुलहम कृषि भूमि वाके चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु ए पत्थर नम्बर 48/28.8 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 6,325 हैक्टेयर के किसी भी जुज को किसी भी तरीके पर किसी भी दस्तावेज के जरिये रहन बय अन्तरित करने अथवा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तबदीली करवाने से एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु ए पत्थर नम्बर 48/288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 कुल 11 बीघा यानि 2.783 हैक्टेयर मे किसी भी से व्यवधान कारित करने फसल काश्त करने, सिचाई पानी लगाने फसल निकालेने से स्थायी तौर पर निषेधित रहे एवं कब्जा की बाबत मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी अधिवकता की एक पक्षिय बहस सुनी जाकर नोटिस जारी किये गए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी स. 1 व 2 प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है —

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में वर्णित कथन कि वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी को कामयाबी कोई सम्भावना नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन नत्थूराम के सजरा खानदान मे वर्णित तथ्य असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, पति व पत्नी दोनो एक ही माता पिता की संतान नही हो सकते है अर्थात भाई बहिन आपस मे शादी नही कर सकते उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नत्थूराम व सुगना देवी के वारिसान के रूप मे बुधराम पुत्र नत्थूराम व मीरां पत्नी बुधराम दोनो को दर्शाया गया है, और हिन्दू उतराधिकार विधि में पैतृक सम्पति के रूप मे हक व हिस्सा के लिए पति व पत्नी दोनो को एक ही ईकाई माना गया है, अर्थात पति व पत्नी का हक व हिस्सा संयुक्त रूप से माना गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। नत्थूराम को कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा रोही मौजा लोंगवाला खसरा न. 145 तादादी 25 बीघा 18 बिस्वा जो किलाबंदी फिटिग मे चक 4 एल. जर. डब्ल्यू – ए प.न. 48/288 मु.न. 16 कि.ला न. 1 ता 25 आवंटित किया जाना स्वीकार है शेष कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, पति व पत्नी दोनो एक ईकाई होने के कारण पैतृक कृषि भूमि में अलग अलग हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही होते, शेष मनगढंत तथ्य अंकित किये गये है ।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, इस सम्बध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज साक्ष्य व सबूत प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिए असत्य कथन वर्णित किये है। मीरां देवी का उक्त कृषि भूमि में कभी भी हक व हिस्सा निहित नही रहा है ना ही मीरां देवी का अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रहा है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 में वर्णित कथन नत्थूरा की मृत्यु सन 1970 में होना स्वीकार हैं तथा नत्थूरा की बेवा सुगना देवी की मृत्यू 1974 में होना स्वीकार है। शेष कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित कथनो में लिखित तथ्य दस्तावेज के अभाव मे अस्वीकार है, अगर रिमाण्ड प्रकरण मुकदमा न. 413/87 में मीरां को पक्षकार नही बनाया गया था तो मीरां को उक्त प्रकरण के आदेश की उसी समय अपीलय न्यायालय में अपील पेश करनी थी लेकिन मीरां द्वारा ऐसा नही किया गया, उपरोक्त कृषि भूमि में केवल मीरां के पति का हक व हिस्सा था मीरा उस कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी नही थी, उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रकरण स. 413/87 में माननीय न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी गंगानगर द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय है जिसमें बुधराम मंगलाराम व चेतनराम को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया था शेष कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 में वर्णित कथन में वादी द्वारा विरोधाभासी तथ्य अंकित किये है, जिसमें प्रार्थना पत्र की दफा 8 व 9 में प्रार्थी द्वारा वर्णित किये गये कथन आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी है, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से क्या अनुतोष चाहा गया है स्पष्ट नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है प्रार्थी की माता मीरा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में कभी भी अंकित नही हुआ है शेष कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि में कृषि भूमि हडपने की नियत से बिना किसी तथ्य व आधार के कथन अंकित किये है। मगलाराम से प्राप्त विरास्तन कृषि भूमि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के द्वारा बैयनामा करवाया जाना स्वीकार है शेष कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 11 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की माता का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नही था।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 12 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र की दफा 12 में दर्शाए गये कथन क से घ मे वर्णित कथन तथ्यो से परे है तथा मनगढंत रूप से दर्शाए गये है। उक्त कृषि भूमि पर वर्णित मीरां देवी का कब्जा कभी भी नही रहा है व कब्जा काश्त के सम्बंध में किसी प्रकार का तथ्य पेश नही किया गया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 13 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, इस सम्बंध में साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज पेश नही किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 14 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 15 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 16 में वर्णित कथन असत्य व मनगढंत होने से अस्वीकार है, प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है, तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दू झूठे अंकित किये है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधिक अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस अधिवकता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवकता प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की और से लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जो निम्न प्रकार है –

प्रार्थी ने वाद के साथ 212 आर टि एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के पडदादा नत्थूराम थे । नत्थूराम को उसके परिवार जिसमें उसकी पत्नि सुगना, पुत्रगण मंगला चेतन, बुधराम व बुधराम की पत्नि मीरां कुल 6 सदस्यों के आधार पर राष्ट्रपति भारत सरकार के जिला पुर्नवास अधिकारी गगांनगर द्वारा रोही मौजा लोंगवाला के खसरा नम्बर 145 तादादी 25 बीघा 18 बिस्वा आवंटित की गई जो किलाबन्दी फिटिंग में चक नम्बर 4 एन जी डब्ल्यु ए पत्थर नम्बर 48/288 मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 1 ता 25 फिट किया गया। उक्त भूमि परिवार के कुल 6 हिस्सेदारों बहिस्सा बराबर हिस्सा मानकर आवंटित की गई थी। इसलिए उक्त कृषि भूमि में कुल 6 हिस्सेदार स्वयं नत्थूराम, उसकी पत्नि सुगना, तीन पुत्रगण मंगला, चेतन, बुधराम व बुधराम की पत्नि मीरां का बहिस्सा बराबर के हकदार हुए। भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार की थी इसलिए भूमि की मात्र परिवार के सदस्यों के आधार ही तय की जाती थी। इसीलिए परिवार के कुल 6 सदस्य मानकर 25 बीघा का आवंटन किया गया था।

जहां तक प्रार्थी की माता मीरांदेवी के 1/6 हिस्से यानि 4 बीघा सवा तीन बिस्वा का हिस्सा था, वह अपना हिस्सा लेकर परिवार से अलग हो गई और अपने हिस्से की भूमि कभी हिस्सा पर कभी ठेका पर कभी स्वय काश्त करती रही है। प्रार्थी की माता ने सवा चार बीघा की बजाय 4 बीघा का ही कब्जा लिया था। नत्थूराम का देहान्त 1970 में उसकी पत्नि का 1974 में देहान्त हो गया था। मीरां द्वारा अपना 4 बीघा हिस्सा लेने के पश्चात शेष 21 बीघा भूमि में तीन हिस्सेदार नत्थूराम के पुत्रगण मंगला, चेतन व बुधराम बहिस्सा बराबर के हकदार हुए। यानि प्रत्येक का 7–7 बीघा हिस्सा हुआ।

प्रश्नगत कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार की थी एवं परिवार के सदस्यों के आधार पर ही 25 बीघा 18 बिस्वा का आवंटन किया गया था जो किलाबन्दी फिटिंग में 25 बीघा दर्ज किया गया। प्रार्थी ने जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गगांनगर के यहां उक्त भूमि के सम्बन्ध में वारिसान के आधार पर सनद हेतु आवेदन किया एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के भाई मंगलाराम ने भी आवेदन किया। जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनाक 20–12–1985 को उक्त कृषि भूमि में सभी का 1/6 – 1/6 हिस्सा घोषित किया गया। जैसे ही अप्रार्थीगण संख्या 1,2 को उक्त

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

20/12/19

आदेश का पता चला तो उन्होने आदेश दिनांक 20–12–85 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलैक्टर एंव प्राधिकृत सैटलमैन्ट कमिश्नर श्री गगांनगर के अपील संख्या 1/86 अनवानी रिछपालराम आदि बनाम श्रीमति मीरां आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 13–10–86 को स्वीकार कर ली गई। इस आदेश के विरूद्ध मीरां ने कलैक्टर एवं प्राधिकृत चीफ सैटलमैन्ट कमिश्नर के निगरानी संख्या 121/86 अनवानी मीरां बनाम रिछपाल आदि प्रस्तुत की जिसे स्वीकार किया जाकर मामला पुनः जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर को रिमाण्ड किया गया। यहां तक तो मु. मीरा सभी कार्यवाहीयों में पक्षकार थी। परन्तु जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर ने पुनः इस प्रकरण को मुकदमा नम्बर 413/87 दर्ज करते हुए मु. मीरां को पक्षकार ही नहीं बनाया और ना ही उसे सुनवाई का कोई समूचित सुअवसर ही प्रदान किया और मीरां के विरूद्व एक पक्षीय रूप से निर्णय करते हुए उक्त भूमि में बुधराम, मंगलाराम, चेतनराम प्रत्येक का 1/3 हिस्सा घोषित कर दिया। चूकिं मु. मीरां आरम्भ से ही इन प्रकरणों में पक्षकार थी और वह उक्त भूमि में अपना 1/6 हिस्सा यानि 4 बीघा लेकर परिवार से ही अलग हो चुकी थी। माननीय जिला पुर्नवास अधिकारी महोदय ने ना तो मीरां को पक्षकार बनाया और ना ही सुनवाई का समूचित सुअवसर प्रदान किया इसलिए उनके द्वारा दिनांक 22–5–89 को दिये गये निर्णय से बाध्यकारी नहीं है और ना ही ऐसा विधि विरूद्ध निर्णय मु. मीरां के विधिक अधिकारों पर कोई प्रभाव ही रखता है।

मंगलाराम ने अपने हिस्से की 7 बीघा कृषि भूमि को विक्रय करने का इकरारनामा धन्नाराम, मानाराम पुत्रगण रतनाराम जाति नायक निवासी लौगंवाला व अन्यों के पक्ष में करना चाहता था, जिस पर प्रार्थी के पिता ने एतराज किया तब स्वंय मगंलाराम ने दिनांक 16–6–1997 को एक शपथ पत्र तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा कर प्रार्थी के पिता के हवाले किया। जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि चक नम्बर 4 एल जी डब्ल्यु में 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि नत्थूराम पुत्र धन्नाराम के नाम से है। उक्त 25 बीघा 18 बिस्वा पूर्व में खसरा नम्बर 145 की थी जो नत्थूराम को नोन क्लेमेन्ट के रूप में अलाट हुई थी। उक्त भूमि परिवार के सदस्यों के नाम से आवंटित हुई थी। नत्थू के परिवार में 6 सदस्य क्रमशः नत्थूराम, श्रीमति सुगना (पत्नि) (3) बुधराम पुत्र (4) चेतन पुत्र (5) मंगला पुत्र (6) श्रीमति मीरां पत्नि बुध राम थे। 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि में श्रीमति मीरां पनि बुधराम का 1/6 हिस्सा है। मगंलाराम द्वारा उक्त तथ्यों का शपथ पत्र देने के पश्चात उसने अपने हिस्से की 7 बीघा भूमि का इकरारनामा उक्त धन्नाराम, मानाराम के पक्ष में किया गया। एवं इकरारनामा करने के कुछ समय पश्चात ही मगंलाराम लावल्द सन् 1998 में फोत हो गया। एंव उसकी पत्नि सुखीदेवी का देहान्त मंगलाराम से पूर्व ही सन् 1997 में हो गया था। इसलिए मगंलाराम द्वारा उक्त धन्नाराम व मानाराम अन्यों के पक्ष में करवाये गये इकरारनामा को प्रार्थी के पिता बुधराम व चेतनराम के वारिसान ने स्वीकार कर लिया।

चूकिं राजस्व रिकार्ड में मंगलाराम का नाम अंकित था और वह लावल्द फौत हो चुका था। चेतनराम के पुत्रगण रिछपाल व सोहनलाल अप्रार्थीगण संख्या 1,2 जो राजस्व रिकार्ड का जानकार थे एवं बहुत शातिर किस्म के व्यक्ति थे। जबकि प्रार्थी का पिता अनपढ़ भोलाभाला व्यक्ति था, वह मात्र कृषि कार्य ही जानता था। पटवार का व माली हाली रकम आदि जमा कराने का सारा कार्य अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ही करते थे। उन्होने प्रार्थी के पिता को मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि का नामान्तरकरण करवाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थी के पिता ने सहमति प्रदान कर दी। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ने साजिश रचते हुए और राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की माता मीरांदेवी के हिस्से की 4 बीघा को शामिल करते हुए कुलहम 25 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्से का अपने व अपनी माता व बहनो के नाम से करवा दिया एवं 1/2 हिस्से का इन्तकाल प्रार्थी के पिता के नाम से करवा लिया। जिसका कोई ज्ञान प्रार्थी के पिता को कभी नहीं रहा। प्रार्थी का पिता इसी विश्वास में रहा कि राजस्व रिकार्ड में मात्र 7 बीघा भूमि का ही विरासतन इन्तकाल हुआ है।

प्रार्थी का पिता इसी विश्वास में रहा कि उपरोक्त कुलहम 25 बीघा भूमि में से 4 बीघा भूमि पर मीरांदेवी के कब्जा काश्त है, और वही उसकी मालिक है । शेष 21 बीघा में 7 बीघा उसका स्वंय का व 7 बीघा मंगलाराम का व 7 बीघा चेतनराम का हिस्सा है। इसलिए उसका स्वंय का 7 बीघा व मंगलाराम से विरासतन प्राप्त 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 10 बीघा 10 बिस्वा का इन्तकाल ही हुआ। उसकी पनि मीरां की 4 बीघा भूमि अलग है। इसी विश्वास पर मंगलाराम

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

द्वारा किये गये विक्रय इकरार को स्वीकार करते हुए चेतन की पुत्रीयों गिरदावरी, कलावती, जमना, लिछमा ने 0.590 हैक्टेयर भूमि का बयनामा मानाराम धन्नाराम पिसरान रतनाराम के हिस्सा में बहिस्सा बराबर एवं 0.295 हैक्टेयर भूमि हेतराम, लीलूराम, हरीराम, सोहनलाल पिसरान केसराराम को जरिये बयनामा मुसद्वका दिनांक 22–9–98 को विक्रय कर दिया यानि कुल 0.885 हैक्टेयर विक्रय कर दिया। एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के पिता बुधराम ने मानाराम, धन्नाराम पुत्रगण रूपराम को 0.590 हैक्टैयर, एंव 0.295 हैक्टेयर हेतराम, लीलूराम, हरीराम, सोहनलाल पुत्रगण केसराराम को जरिये बयनामा मुसद्वका दिनांक 7–10–1998 को विक्रय कर दिया। यानि मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि का बेचान उपरोक्तानुसार प्रार्थी के पिता व चेतनराम के वारिसान द्वारा कर दिया गया। मंगलाराम के हिस्से की 7 बीघा भूमि विक्रय करने के पश्चात चेतनराम के वारिसान की 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर हिस्सा शेष रहा एवं इसी प्रकार से प्रार्थी के पिता का 7 बीघा यानि 1.771 हैक्टेयर हिस्सा शेष रहा। एवं प्रार्थी की माता मु. मीरां के हिस्से की 4 बीघा यानि 1.0 1 2 हैक्टेयर भूमि उसके मरने के पश्चात प्रार्थी को हिन्दू कानून के मुताबिक प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थी का 7 बीघा अपने पिता से प्राप्त एंव 4 बीघा अपनी माता से प्राप्त कुल 11 बीघा यानि 2.783 हैक्टेयर भूमि कानूनन प्राप्त हुई। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके प्रार्थी की माता की भूमि का इन्तकाल उसके नाम से ना करवा कर कुल 25 बीघा भूमि का इन्तकाल संख्या 39 दिनांक 31–8–98 को अपने व अपनी माता व बहनो के नाम 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं 1/2 प्रार्थी के पिता बुधराम के नाम से दर्ज करवा दिया जो कतई गलत व निराधार है। ऐसे विधि विरूद्व अंकन के आधार पर अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इन्तकाल एक फिसकल प्रोसींडिग है।

नत्थूराम जो वृद्व हो चुका था और कृषि कार्य नहीं कर सकता था इसलिए उसने अपने जीवनकाल में ही कुल 25 बीघा भूमि में से 4 बीघा मीरां का हिस्सा मानकर उसकी कब्जा काश्त होने के पश्चात शेष बची उक्त 21 बीघा भूमि का विभाजन अपने तीनो पुत्रगण मंगला, चेतन व बुधराम के मध्य कर दिया था जिसका विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है।

उक्त खरीददारान मानाराम व धन्नाराम ने अपने हिस्से की खरीद शुदा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 के नाम से लगा दी। जिस बाबत फरीकैन में कोई तनाजा नहीं है। जमाबन्दी की मौजूदा स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की जो हिस्साकसी दर्ज की गई है, वह सही है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हिस्सा 9/50 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्टेयर इसी प्रकार से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज 9/50 हिस्सा यानि 1.1385 हैक्टैयर गलत दर्ज हुआ है जबकि उनका वास्तविक हिस्सा विधि अनुसार 0.8855 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम, इसी प्रकार से इतना ही हिस्सा 0.8855 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज कागजात पटवार माल होना चाहिये था एवं प्रार्थी के नाम से 2278/6325 हिस्सा यानि 2.278 हैक्टेयर दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी को अपने पिता से प्राप्त 1.771 हैक्टेयर एंव अपनी माता से प्राप्त 1. 012 हैक्टेयर कुल 2,783 हैक्टेयर का अंकन विधि अनुसार दर्ज होना चाहिये था । इसलिए इस वाद के जरिये यह घोषणा वांछित है कि प्रार्थी उपरोक्त कुलहम 25 बीघा यानि 6.325 हैक्टेयर भूमि में से अपने पिता से प्राप्त 1.771 हैक्टेयर एंव उक्त भूमि में अपनी माता मु. का 1.01 2 हिस्सा यानि 4 बीघा कुल 2.783 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है।

यह कि चरण संख्या 12 में दर्ज वास्तविक हिस्साकसी के अनुसार ही प्रार्थी का 11 बीघा पर एंव अप्रार्थीगण संख्या 1,2 का 7 बीघा पर एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का 7 बीघा पर कब्जा काश्त मुताबिक नजरी नक्शा मौका पर चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है इसलिए नजरी नक्शा में संयुक्त कब्जा काश्त दर्शायी गई है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को करीब एक हफ्ता पूर्व मुकाम लौगंवाला में आपसी सहमति से उपरोक्त 6.325 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का 2.783 हैक्टेयर स्वीकार कर उसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं चरण संख्या 11 जिमन क, ख के अनुसार खाता विभाजन कर अलग जमाबन्दी बनाकर अंकन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की बात मानने से कतई तौर पर साफ इन्कार हो गये। बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 1,2 ने प्रार्थी को यह धमकी दी कि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से 2.278 हैक्टेयर भूमि दर्ज है इसलिए वे अपने नाम से अंकित कृषि भूमि को अन्यत्र भू माफियाओं को विक्रय कर देगें ताकि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भू माफिया अपने आप प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा ले लेगा, चाहे मौका पर अप्रार्थीगण संख्या 1,2 का कब्जा 7 बीघा पर ही क्यों न हो।

अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र में किये गये अधिकांश तथ्यों को स्वीकार किया है। और राजस्व रिकार्ड में जो भूमि का अंकन किया गया है, उसे सही बतलाया गया है। एवं न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गगांनगर द्वारा पत्रावली संख्या 413/87 में दिये गये निर्णय को सही बतलाया है जबकि उस पत्रावली में प्रार्थी की माता मीरांदेवी पक्षकार ही नहीं थी, जबकि इससे पूर्व जो भी पत्रावली में कार्यवाही की गई, उसमें मीरांदेवी पक्षकार थी और उसने अपना पक्ष कथन रखा था।

धारा 212 आर टि एक्ट के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए मात्र तीन बिन्दूओं का निर्धारण कर माननीय न्यायायलय को अपना निर्णय पारित करना है।

1– प्रथम दृटिया मामला 2– सुविधा का सन्तुलन 3– अपरीमेय क्षति

प्रार्थी ने समस्त वास्तविक व विधिक तथ्यों को अपने वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र में उपरोक्तानुसार अंकित किये है। प्रार्थी की कब्जा अपनी माता की चार बीघा भूमि चक 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48/288 किला नम्बर 17, 23, 24, 25 व अपने पिता बुधराम के 21 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16 कुल 11 बीघा पर बिना किसी रोक टोक के निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार से अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त 7 बीघा पर चला आ रहा है एवं मंगला ने अपने हिस्से की 7 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा विक्रय की थी, मंगलाराम के फोत होने पर उसके हिस्से की 7 बीघा भूमि का विक्रय पत्र करवाया गया। अब अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में व्यवधान कारित करने की धमकी दे रहे है, यदि वे इसमें कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है जिसकी क्षति पूर्ति हर्जाना से नहीं आंकी जा सकती और ना ही हर्जाना ऐसे कार्य के लिए उचित मदद हो सकता है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, एवं प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त में व्यवधान कारित करने की धमकी दी जा रही है, यदि वे इसमें कामयाब हो जाते है तो अपरीमेय क्षति प्रार्थी को होगी, जिसकी भरपाई हर्जाना से सम्भव नहीं है। उपरोक्त तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थी अपने पक्ष कथन में निम्न न्यायिक दृ ष्टान्त प्रस्तुत कर रहा है –

1. आर बी जे 1997 (4) पृष्ठ 469 भैरूराम व अन्य बनाम भागीरथ व अन्य आर बी जे 1996 (3) पृष्ठ 483 बिरधीलाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल व अतः उपरोक्त तथ्यों व न्यायिक दृष्टान्त से प्रार्थी का मुकदमा बखूबी साबित है। इसलिए प्रार्थी के कब्जा की सुरक्षार्थ अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टि एक्ट स्वीकार किया जाकर स्थगन पारित किया जावे ।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस अप्रार्थी स. 1 व 2 की और निम्न प्रकार से है – यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी स. 1 व 2 के दाद नत्थूराम को कृषि भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार के जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा रोही मौजा लोंगवाला खसरा न. 145 तादादी 25 बीघा 18 बिस्वा जो किलाबंदी फिटिग मे चक 4 एल. जर. डब्ल्यू – ए प.न. 48/288 मु.न. 16 कि.ला न. 1 ता 25 आवंटित हुई थी उक्त आवंटन के समय प्रार्थी के दादा के परिवार के कुल 6 सदस्यो का नाम अकन था, जिसमें प्रार्थी की माता मीरा देवी व पिता बुधराम दोनो का नाम सदस्य रूप में अंकन किया गया था। प्रार्थी द्वारा नत्थूराम के सजरा खानदान पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी की माता मीरा देवी व पिता बुधराम दोनो को नत्थूराम के सजरा खानदान में वारिस दर्शाया गया है, पति व पत्नी दोनो एक ही माता पिता की संतान नही हो सकते है अर्थात भाई बहिन आपस मे शादी नही कर सकते उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा नत्थूराम व सुगना देवी के वारिसान के रूप मे बुधराम पुत्र नत्थूराम व मीरां पत्नी बुधराम दोनो को दर्शाया गया है, और हिन्दू उतराधिकार विधि में पैतृक सम्पति के रूप मे हक व हिस्सा के लिए पति व पत्नी दोनो को एक ही ईकाई माना गया है, अर्थात पति व पत्नी का हक व हिस्सा संयुक्त रूप से माना गया है। पति व पत्नी दोनो एक ईकाई होने के कारण पैतृक कृषि भूमि में अलग अलग हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही होते अप्रार्थी स.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1 व 2 के दादा नत्थूराम की मृत्योप्रांत राष्ट्रपति भारत सरकार के जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष प्रार्थी व नत्थूराम के पुत्र मंगलाराम ने उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में वारिसान के आधार पर सनद हेतू आवेदन किया जिला पुर्नवास अधिकारी द्वारा दिनांक 20.12. 1985 को उक्त कृषि भूमि में सभी वारिसान का 1ध्6 हिस्सा ब.हि.ब घोषित किया गया उसी दिनांक 20.12.1985 को जिला पूर्नवास अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी स. 1 व 2 के द्वारा अति. जिला कलैक्टर एंव प्राधिकृत सैंटलमेंट कमीश्नर जिला गंगानगर के समक्ष अनवानी रिछपाल राम आदि मीरा आदि अपील संख्या 1 ध्86 प्रस्तुत की गई जो दिनाक 13. 10.1986 को अति. जिला कलैक्टर एंव प्राधिकृत सैंटलमेंट कमीश्नर जिला गंगानगर द्वारा यह आदेश करते हुए स्वीकार किया कि मुताबिक बेसिक रजिस्टर 2 बो सूरतगढ लोगेवाला प्रविश्टी क्रमांक 54 मृत्क नत्थूराम के परिवार में 6 सदस्य दर्शाए गये है जिसमें रेस्पोडेंट मीरा का नाम भी परिवार में सम्मलित है, ओर उम्र 11 वर्ष, जोजा बुधराम अंकित है, इसी प्रकार बेसिक रजिस्टर गंगानगर 37 बी बनवाला के कामक स. 71 में भेराराम पुत्र बल्द लालू के राम में रेस्पो. मीरा का नाम दर्ज ओर उम्र 13 वर्ष लडकी शादीशुदा अंकित है। कितूं अदालत महातयत ने अपने अपीलकर्ता आदेश में यह उल्लेख किया है कि रेस्पो. मीरा को भेराराम के परिवार से निकाल दिया है, ऐसा कोई लेख बेसिक रजि. में नही है ओर न ही ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य अदालत के रिकार्ड में सम्मलित है ओर न ही रेस्पो. की ओर से ऐसा कोई प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किया है। हालांकि दोनो बेसिक रजिस्टर सें रेस्पो. मीरा को दोनो परिवारो की सदस्य दर्शाया गया किन्तू आई.यू के अनुसार वह अपने पिता के साथ रहती होगी अन्यथा उसका नाम पिता के परिवार में होने का सवाल ही पैदा नही होता इस प्रकार अदालत द्वारा रेस्पो. मीरा को नत्थूराम के परिवार की सदस्य होना मानकर कानूनी भूल की है, कहते हुए अपील स्वीकार की गई इस आदेश के विरूद्व मीरा ने कलैक्टर एंव प्राधिकृत चीफ सैंटलमेंट कमीश्नर के समक्ष निगरानी संख्या 121/86 अनवानी मीरा बनाम रिछपाल आदि जो स्वीकार किया जाकर पुनः जिला पुर्नवास अधिकारी गंगानगर को रिमांड हुई, जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा उक्त रिमांड प्रकरण को मुकदमा न. 413/87 दर्ज करते हुए नत्थूराम के पुत्र बुधराम, मंगलाराम, चेताराम प्रत्येक को 1/3 हिस्सा घोषित कर दिया प्रार्थी की माता मीरां देवी के द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय के आदेश को स्वीकार करते हुए कभी नही की गई जिला पुर्नवास अधिकारी श्री गंगानगर द्वारा प्रकरण मुकदमा न. 413/87 का निर्णय अंतिम निर्णय है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार द्वारा कभी भी अपील नही की गई। मीरां देवी का उक्त कृषि भूमि में कभी भी हक व हिस्सा निहित नही रहा है ना ही मीरां देवी का अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त रहा है। नत्थूराम की मृत्यु सन 1970 में होने के उपरांत नत्थूराम की बेवा सुगना देवी की मृत्यू 1974 में हो गई थी, अगर रिमाण्ड प्रकरण मुकदमा न. 413/87 में मीरां को पक्षकार नही बनाया गया था तो मीरां को उक्त प्रकरण के आदेश की उसी समय अपीलय न्यायालय मे अपील पेश करनी थी लेकिन मीरां द्वारा ऐसा नही किया गया, उपरोक्त कृषि भूमि में केवल मीरां के पति का हक व हिस्सा था मीरा उस कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिनी नही थी, उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रकरण स. 413/87 में माननीय न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी गंगानगर द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय है जिसमें बुधराम मंगलाराम व चेतनराम को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया था, प्रार्थी द्वारा विरोधाभासी तथ्य अंकित किये है, जिसमें प्रार्थना पत्र की दफा 8 व 9 में प्रार्थी द्वारा वर्णित किये गये कथन आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी है, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से क्या अनुतोष चाहा गया है स्पष्ट नही है। प्रार्थी की माता मीरा देवी का नाम राजस्व रिकार्ड में कभी भी अंकित नही हुआ है, प्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि में कृषि भूमि हडपने की नियत से बिना किसी तथ्य व आधार के कथन अंकित किये है। मगलाराम से प्राप्त विरास्तन कृषि भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के द्वारा बैयनामा करवाया जाना स्वीकार है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की माता का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा निहित नही था । प्रार्थना पत्र की दफा 12 में दर्शाए गये कथन के से घ मे वर्णित कथन तथ्यो से परे है तथा मनगढंत रूप से दर्शाए गये है।

उक्त कृषि भूमि पर वर्णित मीरां देवी का कब्जा कभी भी नही रहा है व कब्जा काश्त के सम्बंध में किसी प्रकार का तथ्य पेश नही किया गया इस सम्बंध में साक्ष्य, सबूत व दस्तावेज पेश नही किया गया है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नही हो रही है, तथा प्रथम दृ

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दू झूठे अंकित किये है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का विधिक अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यो पर आधारित होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अत लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है चक 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48/288 किला नम्बर 17, 23, 24, 25 व अपने पिता बुधराम के 21 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16 कुल 11 बीघा पर बिना किसी रोक टोक के निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी के हक हिस्सों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में वाद जैरकार जिसमें साक्ष्य सबूतों एवं तनकीयात के आधार पर प्रार्थीया को अपना वाद साबित करना है। प्रथम दृष्टया वर्णित वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पैतृक संपति के सम्बंध में निर्णय वाद पत्र में किया जाना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला वाद पत्र निर्णय तक प्रार्थी के पक्षा में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन** :–अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 रिकार्डिड खातेदार है जिससे प्रार्थी को उपयोग–उपभोग में असुविधा जैसी स्थिति प्रकट होती है अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दू भी पक्ष में प्रार्थी के साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू से तात्पर्य यह है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उभय पक्ष के मध्य वाद जैरकार है जिसमें गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में व्यवधान कारित करने की धमकी दे रहे है, यदि वे इसमें कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीए साबित होने से स्वीकार किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जाता है कि चक 4 एल जी डब्ल्यु पत्थर नम्बर 48/288 किला नम्बर 17, 23, 24, 25 व अपने पिता बुधराम के 21 बीघा में से 1/3 हिस्सा यानि 7 बीघा किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16 कुल 11 बीघा भूमि में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति जारी कर तादावा फैसला तक निरंतर की जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनाकं 19/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा